उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001
Mail Id :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org**; **Phone: 01352665366.**

विज्ञप्ति संख्याः 121/2023 दिनांक 01 फरवरी, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरूष) के रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति।

नर्सिंग अधिकारी परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के समूह–ग के अन्तर्गत ''नर्सिंग अधिकारी'' (महिला/पुरूष) पदों के कुल रिक्त पद 1564 पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 118/2023 दिनांक 03 जनवरी 2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या 119/2023 दिनांक 11 जनवरी 2023 प्रकाशित की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के विरुद्व दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश के आलोक में ''नर्सिंग अधिकारी'' (महिला/पुरूष) के पद पर समस्त अभ्यर्थियो को ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 01 फरवरी 2023 (बुधवार, सांय 05:00 बजे तक) को विस्तारित करते हुये दिनांक 15 फरवरी 2023 (बुधवार, सांय 05:00 बजे तक) निर्धारित की जाती है। इसके उपरान्त किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में भिन्न–भिन्न तिथियों को पारित अन्तरिम आदेश के आलोक में ''नर्सिंग अधिकारी'' (महिला/पुरूष) के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्न बिन्दुओं का अवलोकन करने के उपरान्त आवेदन पत्र भरें–

- ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में पंजीकरण करते समय पोर्टल पर रिट याचिका संख्या, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा सम्बन्धित रिट में अन्तरिम आदेश पारित करने की तिथि तथा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् में उक्त पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 12.12.2020 के क्रम में ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या (Application form Number as per advertisement dated 12.12.2020 by UBTER) अंकित करना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में आयु की गणना उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा उक्त पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 12.12.2020 तथा समय–समय पर यथा संशोधित विज्ञापन के अनुसार की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उक्त पद हेतु बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन उ0चि0से0च0बो0/परी0(न0अधि0)/10/2021–22/08 दिनांक 03 जनवरी 2023 के बिन्दु 09–अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं होने के उपरान्त भी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं, को ऑनलाइन आवेदन पत्र पोर्टल में एक अन्य विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें यह उल्लिखित है कि ''**Candidate who are not eligible as per online application form Column No. 11 (I)/(II)/III are permitted to fill the application form in compliance of Hon'ble High Court's order.** (**जो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 11 (I)/(II)/III की अर्हता धारित नहीं करता/करती है एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा उनके सम्बन्ध में आवदेन करने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं**) इस विकल्प में ऐसे अभ्यर्थी YES/NO में से एक विकल्प का चयन करेंगे।

- ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपलोड किये जाने वाली संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) में अन्य दो प्रपत्र/दस्तावेज को संलग्न (Attach) कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अन्य दो प्रपत्र/दस्तावेज, जिन्हे संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) के साथ संलग्न किया जाना है, का विवरण निम्नानुसार है:-
  1. Self attested Copy of Order issued by Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.
  2. Self attested copy of Application form as per advertisement dated 12.12.2020 by UBTER.

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0(न0अधि0)/10/2021-22/08 दिनांक 03 जनवरी 2023 तथा यथा संशोधित विज्ञप्ति 119/2023 दिनांक 11 जनवरी 2023 की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

ह0/-
(अरविन्द सिंह पांगती)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।